सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :. NCST/ATY-852/RJ/12/2022-APCR

दिनांक : 18.06.2024

सेवा मे,

श्रीमती ऋचा तोमर
पुलिस अधीक्षक
जिला झालावाड़ ,
झालवाड़ -326001
(राजस्थान)
ई मेल: sp-jha-rj@nic.in

विषय: अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ बलात्कार करने तथा शिकायत वापिस लेने का दबाव बनाने के सम्बन्ध में - श्रीमति गुड्डी बाई पत्नी दुलीचंद, ग्राम राम भालती -, थाना भालता -, जिला झालावाड़ -, राजस्थान का अभ्यावेदन

संदर्भ : आयोग का नोटिस दिनांक 09.01.2023 (प्रतिलिपि संलग्न)

महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने (एनसीएसटी) भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

2. डॉआशा लकड़ा ., माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण मे अन्वेषण / जांचकी / जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **27.06.2024 को 12.00 बजे** सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

भवदीय

(आर.के. दुबे / R.K. Dubey)
उप निदेशक/ Deputy Director
Email ID : rk.dubey@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

श्रीमति गुड्डी बाई
पत्नी दुलीचंद,
ग्राम राम भालती ,थाना भालता , जिला झालावाड़ ,
राजस्थान -326039
मोबाइल नंबर -7412095322